

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादीती

फर्द अहकाम

दिनांक

13-10-13 पत्रावली पेश हुई। कुलायु मरिठम उपस्थित।
 उपस्थित दोनों पक्षों के वकीलों के
 बहस करने का निवेदन किया। निमा
 पर उभयपक्षों काशान की बहस सुनी
 गयी एवं उपलब्ध दस्तावेजों को
 खलोकन किया गया जिसमें आभलम
 इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आभलम
 आभलम विक्रम और आभलम धारिण किया
 जाता है। पत्रावली में निम्न पृष्ठ से
 लिखा जाकर शामिल वाद रहे। पत्रावली
 नियम अनुसार मानी जाकर वाद तकमिल
 अनुसार से कम होकर शामिल वाद
 रहे।

6/10
 महेन्द्र सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नादीती